(14)

सेवा में,

मा0 निदेशक महोदय

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, नई दिल्ली

विषयः— प्रार्थी द्वारा लिखित पुस्तक अफसरशाही (एक अनसुना सच) में उल्लिखित तथ्यो के आधार पर दोषियों को सजा एवं निर्दोषो को न्याय प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन यह है कि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मेरे द्वारा लिखित पुस्तक **अफसरशाही (एक अनसुना सच)** का आप स्वयं अवलोकन एवं अध्ययन करने का कष्ट करे, यह पुस्तक मेरे साथ घटित घटनाक्रम (आप–बीती) के सम्बन्ध में है। मेरे द्वारा इस पुस्तक में लिखे गये तथ्यो के सबूत/साक्ष्य मैंने QR CODE के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिये है, इन्हे SCAN करके देखा जा सकता है तथा इन्हे DOWNLOAD करके इनका प्रिंट आउट भी निकलवाया जा सकता है। हमारे देश में प्रजातंत्र, संविधान एवं कानून का शासन होते हुए भी इस पुस्तक में वर्णित अधिकारियो द्वारा किये गये अपराधो पर कार्यवाही नही की जा रही है तथा इस पुस्तक में वर्णित निर्दोषो को न्याय नही मिल पा रहा है।

आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक को स्वयं पढकर इस सम्पूर्ण प्रकरण में दोषियो को सजा एवं निर्दोषो को न्याय प्रदान कराने तथा मुझे व मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान कराने तथा इन अधिकारियो एवं माफियाओ द्वारा मुझे झूठे मुकदमो में फंसाये जाने से रोकने की व्यवस्था कराने की कृपा करे।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांकः 13.12.2025

प्रार्थी

संलग्नक—एक पुस्तकः— **अफसरशाही (एक अनसुना सच)**

जयभगवान पुत्र श्री चन्द्रभान
नि0 ग्राम बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना खतौली
जिला मुजफ्फरनगर
मो0 न0— 8630682756

Muzaffarnagar HO 251001
EU727940624IN, IVR No1: 6985727940624
13-12-2025 12:06:00, Counter No. 2,
To: NIDESHAK CBI
NEW DELHI , SOUTH, 110003
From: JAI BAGHWAN
BUWADA KHURD , MUZAFFAR, 251201
Base Amt: 70.00
To: NIDESHAK CBI
P.Mode: Cash
POD:No. www.indiapost.gov.in

सेवा में,

मा0 निदेशक महोदय,

केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली

विषयः- आई0ए0एस0 अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा व डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी एवं पी0सी0एस0 अधिकारी श्री रामकिशन शर्मा श्री उमेश मिश्र व श्री राकेश कुमार द्वारा की गई लूट, गबन, भ्रष्टाचार, माफियाओं के साथ गठजोड़ कर सरकारी सम्पत्ति को हड़पने, माफियाओं को संरक्षण देने, धोखाधड़ी जालसाजी कूटरचना करके फर्जी रिपोर्ट बनाने/बनवाने आदि अनेक आपराधिक कृत्यों के लिखित सबूत/ प्रमाण आपको उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही ? के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन यह है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र, जिसके साथ एक पुस्तक "अफसरशाही एक अनसुना सच" संलग्न करके दिनांक 13-12-2025 में रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपको प्रेषित की गई थी, जो दिनांक 16-12-2025 में आपको प्राप्त हो चुकी हैं। इस पुस्तक में इन अधिकारियों के द्वारा अरबो रुपए की किसानों की गन्ने की फसल की लूट, माफियाओं से उनके गठजोड़, अधिकारी- माफिया गठजोड़ के द्वारा अरबो रुपए की सरकारी भूमि को हड़पने के उनके प्रयास और उनके इस प्रयास में मेरे द्वारा बाधा उत्पन्न किये जाने के कारण एक फर्जी महाभूमिघोटाला दर्शाकर समाज, शासन, व सरकार को गुमराह करने, मुझ सहित अनेक किसानों को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाने / बनवाने तथा उनका प्रयोग करने, मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, व मेरे साले की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके उन्हें अधिकारियों एवं माफियाओं से लुटवाये जाने, माफियाओं को सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करके उनसे लूट कराने व उस लूट में हिस्सा प्राप्त करने, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मुझ सहित अनेक लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत बनाने /बनवाने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने आदि के सभी लिखित प्रमाण/सबूत आपको उपलब्ध करा दिए थे। यह सभी लिखित सबूत/प्रमाण आपको भेजी गई पुस्तक "अफसरशाही एक अनसुना सच" में मौजूद हैं। इस पुस्तक में दिए गये QR CODES को SCAN करके आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा इन्हें DOWNLOAD करके इनका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं।

इन अधिकारियों द्वारा किए गए उपरोक्त लिखित अपराधों के सभी सबूत/ प्रमाण आपको प्राप्त होने के बावजूद अभी तक आपके द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। श्री कौशलराज शर्मा इस समय दिल्ली जल बोर्ड के सी0ई0ओ0 हैं तथा डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी इस समय उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। श्री राकेश कुमार इस समय उत्तर प्रदेश में उप जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा श्री रामकिशन शर्मा एवं श्री उमेश मिश्र सेवानिवृत हो चुके हैं। मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इन अधिकारियों द्वारा तो भ्रष्टाचार के साथ - साथ अरबो रुपए की किसानों की गन्ने की फसल की लूट, माफियाओं से गठजोड़, अधिकारी- माफिया गठजोड़ के द्वारा अरबो रुपए की सरकारी भूमि को हड़पने के उनके प्रयास और उनके इस प्रयास में मेरे द्वारा बाधा उत्पन्न किये जाने के कारण एक फर्जी महाभूमिघोटाला दर्शाकर समाज, शासन, व सरकार को गुमराह करने, मुझ सहित अनेक किसानों को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाने / बनवाने तथा उनका प्रयोग करने, मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, व मेरे साले की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके उन्हें अधिकारियों एवं माफियाओं से लुटवाये जाने, माफियाओं को सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करके उनसे लूट कराने व उस लूट में हिस्सा प्राप्त करने, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके

मुझ सहित अनेक लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत बनाने /बनवाने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने सहित अनेक आपराधिक कार्य किये गए हैं और इन सभी के लिखित सबूत /प्रमाण मौजूद हैं जो आपको प्राप्त कराये जा चुके हैं फिर इनके विरुद्ध कार्यवाही करने में देरी क्यों की जा रही है ? यह कैसी विडंबना पूर्ण बात है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध प्रमाण है तो कार्यवाही निश्चित रूप से होगी दूसरी तरफ इन अधिकारियों के विरुद्ध इतने लिखित सबूत / प्रमाण है और वह आपको उपलब्ध कराये जा चुके हैं उसके बावजूद यह अधिकारीगण अपने पदों पर सुशोभित है और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाहियां नहीं की जा रही है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इन अधिकारियों के द्वारा किए गए उपरोक्त अपराधो जिनके सभी लिखित सबूत/प्रमाण आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं, इनके द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के सम्बन्ध में अपराधवार पृथक- पृथक आवश्यक कार्यवाही, प्रथम सूचना रिपोर्टें आदि अंकित कराते हुए तत्काल कठोरतम कार्यवाही करने/कराने का कष्ट करें, तथा इस प्रकरण के सभी निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने का कष्ट करें, और की /कराई गई कार्यवाही से प्रार्थी को भी सूचित कराने का कष्ट करें।आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :–29.12.2025

संलग्नक:- प्रार्थना पत्र दिनांक 13-12- 2025

वं उसकी प्राप्ति का स्टेटस

प्रार्थी

जय भगवान पुत्र श्री चन्द्रभान

निवासी ग्राम- बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना-

खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर, पिन - 251 201

मोबाइल नंबर- 8630682756

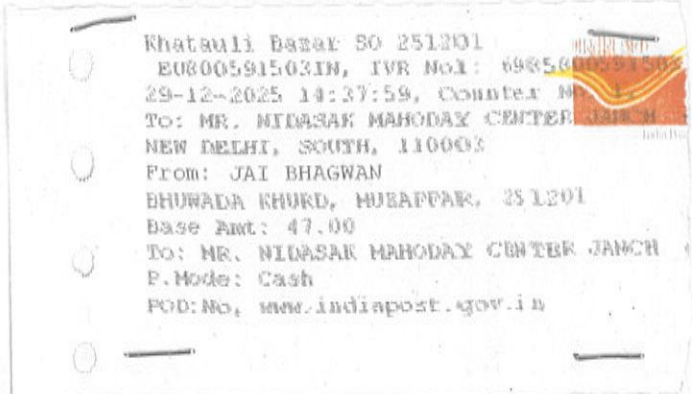

Khatauli Bazar SO 251201
EU800591503IN, IVR No1: 6985...
29-12-2025 14:37:59, Counter No...
To: MR. NIDASAK MAHODAY CENTER JANCH
NEW DELHI, SOUTH, 110003
From: JAI BHAGWAN
BHUWADA KHURD, MUZAFFAR, 251201
Base Amt: 47.00
To: MR. NIDASAK MAHODAY CENTER JANCH
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

प्रारूप 2

सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6 (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली

1-**आवेदक का नाम-** जय भगवान

2- **पिता का नाम-** श्री चन्द्रभान

3- **पता-** ग्राम- बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना- खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 251201

4- **ई- मेल पता, यदि कोई हो-**

5- **दूरभाष संख्या / मोबाइल संख्या-** 8630682756

6- **मांगी गई सूचना का ब्यौरा:-** प्रार्थी द्वारा दिनांक 13- 12- 2025 में अफसरशाही (एक अनसुना सच) नामक पुस्तक एक प्रार्थना पत्र के साथ आपको डाक द्वारा प्रेषित की थी। इस पुस्तक में आई0ए0एस0 अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा, व पी0सी0एस0 अधिकारी डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी (जो बाद में प्रोन्नत होकर आई0ए0एस0 हो गए) श्री रामकिशन शर्मा, श्री उमेश मिश्र व श्री राकेश कुमार द्वारा की गई लूट, गबन, भ्रष्टाचार, माफियाओ के साथ गठजोड़ कर सरकारी संपत्ति को हड़पने, माफियाओ को संरक्षण देने, धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके फर्जी रिपोर्टें बनाने/ बनवाने, किसानों की अरबो रुपए की गन्ने की फसल को लूटने, मुझ सहित सैकड़ो किसानों पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके फर्जी मुकदमे दर्ज कराने तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत बनाने/ बनवाने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने सहित अनेक आपराधिक कृत्यों के लिखित सबूत/ प्रमाण आपको उपलब्ध कराए गए थे, यह सभी लिखित सबूत/ प्रमाण आपको भेजी गई पुस्तक अफ़सरशाही (एक अनसुना सच) में मौजूद हैं। प्रार्थी द्वारा आपको यह जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई थी कि इस पुस्तक में दिए गए QR CODES को SCAN करके आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा इन्हें DOWNLOAD करके इनका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं। पुस्तक के साथ भेजे गए प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इस पुस्तक में उपलब्ध कराए गए लिखित प्रमाणों /सबूतों के आधार पर आपसे दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई थी तथा निर्दोषों को न्याय दिलाने की मांग की गई थी। इसके पश्चात इसी सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29-12- 2025 में भी डाक द्वारा आपको भेजा गया था उसमें भी दोषियों पर उनके द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के सम्बन्ध में अपराधवार पृथक- पृथक आवश्यक कार्यवाही, प्रथम सूचना रिपोर्टें आदि अंकित कराते हुए तत्काल कठोरतम कार्यवाही करने/ कराने का अनुरोध किया गया तथा इस प्रकरण में सभी निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने की मांग की गई थी और की/कराई हुई कार्यवाही से प्रार्थी को सूचित कराने का अनुरोध भी किया गया था, किंतु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना प्रार्थी को प्रदान नहीं की गई, जिस कारण प्रार्थी को प्रार्थी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 13- 12- 2025 व उसके साथ भेजी गई पुस्तक अफ़सरशाही (एक अनसुना सच) तथा प्रार्थी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 29- 12- 2025 के सम्बन्ध में निम्न सूचनाओं की आवश्यकता है:-

(1)- पुस्तक अफसरशाही (एक अनसुना सच) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्यरत रहते हुए पुस्तक में उल्लिखित किए गए अनेक तरह के अपराधों जिनके लिखित सबूत/प्रमाण आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, के सम्बन्ध में इन अधिकारियों के विरुद्ध आपके द्वारा की/ कराई गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

कृपया:-2

(2)- पुस्तक अफ़सरशाही (एक अनसुना सच) में उल्लिखित अनेक निर्दोषों, जिनको अधिकारियों द्वारा फर्जी रूप से फंसाया गया है और इन सबके लिखित सबूत /प्रमाण आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, इन निर्दोषों को न्याय दिलाने हेतु आपके द्वारा की/कराई गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(3)- अधिकारियों द्वारा की गई लूट, भ्रष्टाचार, गबन, माफियाओ के साथ मिलकर सरकारी संपत्ति को हड़पने, माफियाओं को संरक्षण देने, धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाने, निर्दोषों को फर्जी रूप से फंसाने, किसानों की अरबो रुपए की गन्ने की फसल को लूटने, मुझ सहित सैकड़ो किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूतो का निर्माण करने/कराने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने आदि के सभी लिखित सबूत/ प्रमाण **केन्द्रीय जांच ब्यूरो को** प्राप्त/ उपलब्ध हो जाने के पश्चात, आपके द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, आपके द्वारा इस प्रकरण में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(4)- **केन्द्रीय जांच ब्यूरो** के संज्ञान में यह आने कि निर्दोषों को अधिकारियों द्वारा फर्जी रूप से फंसाया गया है और उसके सभी लिखित सबूत/प्रमाण **आपको** प्राप्त हो जाए तो इस सम्बन्ध में आपके द्वारा निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस प्रकरण में आपके द्वारा निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

7- क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है? हां/नहीं--- नहीं।

8- जमा की गई फीस का ब्यौरा:- निर्धारित शुल्क संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या-71F 362751 के द्वारा अदा किया जा रहा है।

9- क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे (बी.पी.एल) की श्रेणी का है? हां /नहीं (यदि हां तो बी.पी.एल.) प्रमाण पत्र संलग्न करें--- नहीं

10 संलग्नको की सूची:-

1-पोस्टल आर्डरसंख्या-71F 362751

2- प्रार्थी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 13- 12- 2025 की छायाप्रति।

3- प्रार्थी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 29- 12- 2025 की छाया प्रति।

स्थान-ख़तौली, मुजफ्फरनगर

दिनांक- 24-01-2026

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पावती

श्री ------------------ निवासी------------- दिनांक------------को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1)के अधीन सूचना की मांग हेतु आवेदन पत्र जो क्रमांक-------- पर पंजीकृत, प्राप्त किया।

दिनांक---------- राज्य लोक सूचना अधिकारी का हस्ताक्षर और पूरा पता

प्राधिकारिक मुद्रा

दश टाका … दहा रुपये … दश रूप्यकाणि

अपराक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

जारी करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO श्रीमान जन सूचना अधिकारी केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, नई दिल्ली को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT नई दिल्ली के डाकघर में अदा करें।

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

27/1/26

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

जयभगवान पुत्र श्री चन्द्रभान
ग्राम - कुताना खुर्द, डाकखाना ...
जिला - मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)
पिन - 251201

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

71F 362751

BPCM MUZAFFARNAGAR RMS (251001) Counter No.1
SP-D EU712330445IN IVR:6985712330445
21-01-2026 16:11:40,32gms(Phy.),
To: CPT, DELHI
Civil Lines , DELHI - 110054
From:JAI BHAGWAN-251201
(Base:47.00)

Track on www.indiapost.gov.in Call [illegible]

भारतीय डाक
डाक सेवा-जन सेवा
India Post
Dak Sewa-Jan Sewa

E-mail
sphq @cbi.gov.in
Website:
www.cbi.gov.in
Phone: 01124361882

सीबीआई(मुख्यालय)
7वा तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
Central Bureau of Investigation
(HO) 7th Floor, CGO complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

Speed Post
RTI Matter
Most Immediate

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री जय भगवान, के आरटीआई आवेदन का अंतरण के संदर्भ में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री जय भगवान, का आरटीआई आवेदन दिनांक - 24.01.2026, भारतीय पोस्टल ऑर्डर न- 71F 362751 रुपये 10/- के साथ इस कार्यालय में दिनांक 28.01.2026 को प्राप्त हुआ है।

2. चूंकि अपेक्षित सूचना आपके कार्यालय से संबन्धित है, अत: आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत संबन्धित जनसूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है, कि यदि विषयवस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबन्धित है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को आगे संबन्धित जनसूचना अधिकारी को भेज दिया जाए।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय

28/01/26

(आर ए यादव)
केलोसूअधि./एसपीएचक्यू, सीबीआई (मु)
नई दिल्ली

के.लो.सू.अधि./सहा.महानिरीक्षक शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ,सीबीआई,नई दिल्ली
सीबीआईआईडीसं.एसपीएचक्यू/2026/ 08 /विविध.खंड-I/26/RTI Act, 2005 दिनांक 28/01/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:- श्री जय भगवान, ग्राम बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना- खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-251201, आगे का पत्राचार, यदि कोई हो तो के.लो.सू.अधि./सहा. महानिरीक्षक शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ, सीबीआई, नई दिल्ली जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

E-mail:
aigcc.cell@cbi.gov.in
Website:
www.cbi.gov.in
Phone: 011-24362700
Ext No. 4126

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ,
नीति प्रभाग,10वीं मंजिल
सी.बी.आई.मुख्यालय
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
Complaint & Coordination Cell,
Policy Division,10th floor,
CBI Headquarters, Lodhi Road, New Delhi-110003

No. 88 /22(101)/2026/C&C/RTI/PD
दिनांकः- 18 .03.2026

सेवा में

श्री जयभगवान,
निवासी गांव-बुवाड़ा खुर्द,
डाकघर-खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर,
यूपी – 251201
मोबाइल नं. - 8630682756

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत सूचना।

कृपया उपर्युक्त विषय पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय-सह-के.लो.सू.अ. सीबीआई/नई दिल्ली, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित होते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ (नीति प्रभाग), नई दिल्ली कार्यालय में दिनांक 30/01/2026, को प्राप्त हुआ।

2. इस सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि शिकायत पत्र दिनांक 13/12/2025 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि शिकायत में संदर्भित मामला स्थानीय सरकार के कार्यक्षेत्र का विषय है। तदनुसार आपका शिकायत पत्र दिनांक 13/12/2025 अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, बी-ब्लॉक, लोक भवन, यूपी सचिवालय, लखनऊ-226001, को पत्र सं. - 30/1(Uttar Pradesh Administration)/2024/PD(3603)/8257 दिनांक 22.12.2025 (प्रति संलग्न), के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।

3. उपरोक्त परिस्थिति में आपके आरटीआई आवेदन पत्र का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

4. इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर संयुक्त निदेशक (नीति), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई मुख्यालय, लोधी रोड, नई दिल्ली को इस जबाब के विरूद्ध अपील की जा सकती है।

अनुलग्नक : यथोपरि

18.03.26

(टी. पी. सिंह)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक/सीपीआईओ
शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ/के.अ.ब्यूरो
नीति प्रभाग, नई दिल्ली।

E-mail: aigcc.cell
@cbi.gov.in
Website: www.cbi.gov.in
Phone: 011-24361373

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ
नीति प्रभाग,10वीं मंजिल
सी.बी.आई. मुख्यालय
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
Complaint & Coordination Cell
Policy Division,10th floor,
CBI Headquarters, Lodhi Road,
New Delhi-110003

Confidential/Urgent

No. 30/1(Uttar Pradesh Administration)/2024/PD/(3603)/ 8257 Dated:22.12.2025

To

The Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
101, B-Block, Lok Bhawan,
U.P. Secretariat,
Lucknow-226001.

Subject: Forwarding of Complaint/reference-reg.

Sir,

Please find enclosed herewith a complaint/reference dated 13.12.2025 received from Jaibhagwan of Muzaffarnagar for necessary action at your end.

Yours sincerely

22/12/25

(T.P.Singh)
AIG(Complaint & Coord.),
Policy Division, CBI,
New Delhi.

Encl: As above.

✓ (1)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपील

सेवा में, श्रीमान अपीलीय अधिकारी
केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, नई दिल्ली

(प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यरत
अधिकारी का पदनाम और पता)

क : अपीलार्थी से सम्पर्क हेतु आवश्यक विवरण :

1–अपीलार्थी का नाम	जयभगवान
2–डाक का पता, सेल–फोन नम्बर और ई–मेल पता (यदि कोई हो)	जयभगवान पुत्र श्री चन्द्र भान, ग्राम-बुवाडा खुर्द, डा०-खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तरप्रदेश पिन-251201, मो०न०-8630682756

ख : अपील का विवरण :

1–उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है	नाम (यदि उपलब्ध हो)	—
	पदनाम	जन सूचना अधिकारी
	पता	सी०बी०आई० मुख्यालय नई दिल्ली
2–राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने का दिनांक (राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत अनुरोध की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए)	25-01-2026 संलग्न है।	
3–अपील के आधार (यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की जाए तो ऐसे आदेश की एक प्रति अवश्य फाइल की जाए)	प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें प्रार्थी को उपलब्ध न कराया जाना। (कोई भी सूचना प्रार्थी को प्राप्त नहीं) (यदि उपर्युक्त स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक पृष्ठ लगायें)	
4–प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष	प्रार्थी द्वारा जिन 5 बिन्दुओं पर सूचनायें चाही गई है, वह सूचनायें प्रार्थी को प्रदान की जाये।	
5–यदि अपील विहित अवधि के पश्चात् फाइल की जा रही हो तो विलम्ब का कारण	अपील विहित समयावधि के अन्दर दायर की जा रही है।	
6–उन दस्तावेजों की सूची जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और जिन पर वह निर्भर हो।	(1) आवेदनपत्र दिनांक 25-01-2026 (2) प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2025 (3) प्रार्थना पत्र दिनांक 29-12-2025 (4) सी०बी०आई० कार्यालय पत्र दिनांक 28-01-2026	

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
(जयभगवान)
14-03-2026

Khatauli SO 251201
EU334194459IN, IVR No: 69853341944
14-03-2026 17:43:50, Counter No. 3,
To: CBI
LODI ROAD , SOUTH, 110003
From: JAI BHAGWAN
BUWADA KHURD , MUZAFFAR, 251201
Base Amt: 47.00
To: CBI
P.Mode: QR
POD:No, www.indiapost.gov.in

RTI MATTER/Online

नंबर 22/(101)(A)/2026/RTI/C&C/PD/ 141

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नीति प्रभाग

कर्तव्य भवन-2

नई दिल्ली-110001

दिनांक : अप्रैल 27, 2026

प्रथम अपीलीय आदेश

अपीलकर्ता श्री जयभगवान, निवासी गांव-बुवाड़ा खुर्य, डाकघर-खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर यूपी- 251201 ने सहायक महानिरीक्षक पुलिस/सीपीआईओ शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ/के.अ.ब्यूरो नीति प्रभाग, नई दिल्ली के जवाब के खिलाफ पहली ऑफलाइन अपील दिनांक 14.03.2026 को जेडी (पॉलिसी) कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसका उत्तर सहायक महानिरीक्षक पुलिस/सीपीआईओ शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ/के.अ.ब्यूरो नीति प्रभाग, नई दिल्ली ने 18.03.2026 को दिया।

2. मैंने, आरटीआई आवेदन और सहायक महानिरीक्षक पुलिस/सीपीआईओ शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ/के.अ.ब्यूरो नीति प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा दिए गए 18.03.2026 जवाब पर दिए गए और अपीलकर्ता के प्रथम अपील का अवलोकन किया।

3. उत्पादित किए गए दस्तावेजों/रिकॉर्ड की जांच के बाद, अधोहस्ताक्षरी का मानना है कि, सहायक महानिरीक्षक पुलिस/सीपीआईओ शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ/के.अ.ब्यूरो नीति प्रभाग, नई दिल्ली का उत्तर दिनांक 18.03.2026, उचित हैं (प्रति संलग्न)।

4. दिनांक 14.03.2026 के अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

5. इस आदेश के खिलाफ दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, नियर स्टाफ क्वार्टर, ओल्ड जेएनयू कैंपस, मुनिरका, नई दिल्ली -110067 के पास इस आदेश के जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर होगी।

27/4/26

संयुक्त निदेशक और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

सीबीआई, पॉलिसी डिवीजन।

श्री जयभगवान,
निवासी गांव-बुवाड़ा खुर्य, डाकघर-खतौली,
जिला-मुजफ्फरनगर यूपी- 251201

E-mail:
aigcc.cell@cbi.gov.in
Website:
www.cbi.gov.in
Phone: 011-24362700
Ext No. 4126

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ,
नीति प्रभाग,10वीं मंजिल
सी.बी.आई.मुख्यालय
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
Complaint & Coordination Cell,
Policy Division,10th floor,
CBI Headquarters, Lodhi Road, New Delhi-110003

No. 88 /22(101)/2026/C&C/RTI/PD
दिनांक:- 18 .03.2026

सेवा में

श्री जयभगवान,
निवासी गांव-बुवाड़ा खुर्द,
डाकघर-खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर,
यूपी – 251201
मोबाइल नं. - 8630682756

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत सूचना।

कृपया उपर्युक्त विषय पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय-सह-के.लो.सू.अ. सीबीआई/नई दिल्ली, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित होते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ (नीति प्रभाग), नई दिल्ली कार्यालय में दिनांक 30/01/2026, को प्राप्त हुआ।

2. इस सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि शिकायत पत्र दिनांक 13/12/2025 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि शिकायत में संदर्भित मामला स्थानीय सरकार के कार्यक्षेत्र का विषय है। तदनुसार आपका शिकायत पत्र दिनांक 13/12/2025 अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, बी-ब्लॉक, लोक भवन, यूपी सचिवालय, लखनऊ-226001, को पत्र सं. - 30/1(Uttar Pradesh Administration)/2024/PD(3603)/8257 दिनांक 22.12.2025 (प्रति संलग्न), के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।

3. उपरोक्त परिस्थिति में आपके आरटीआई आवेदन पत्र का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

4. इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर संयुक्त निदेशक (नीति), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई मुख्यालय, लोधी रोड, नई दिल्ली को इस जबाब के विरूद्ध अपील की जा सकती है।

अनुलग्नक : यथोपरि

18.03.26

(टी. पी. सिंह)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक/सीपीआईओ
शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ/के.अ.ब्यूरो
नीति प्रभाग, नई दिल्ली।